Volume-7, No. 1 Feb.-2020, pp. Hin.05-09

भारत में बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

डॉ. वीरेन्द्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर,
शिक्षाशास्त्र विभाग
डी.पी.बी.एस. पी.जी. कालिज अनूपशहर बुलन्दशहर उ.प्र. भारत।
चौ.चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ उ.प्र. भारत

सामाजिक बदलाव सिर्फ कानून से नहीं आ जाता। उसके लिए संसाधनों के अलावा बदलाव की मानसिकता और सामाजिक स्वीकृति की भी जरूरत होती है। यह बात शिक्षा का अधिकार कानून पर सबसे ज्यादा लागू होती है। यह दूरगामी असर डालने वाला कानून है जो शत–प्रतिशत साक्षरता हासिल करने में हमारी मदद करेगा। इसके अलावा यह सामाजिक एकता व सामंजस्य को भी बढ़ायेगा, लेकिन इसे लागू करने की जटिलता और चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी हैं। पहली चुनौती संसाधनों से जुड़ी है, दूसरी खर्च के वितरण में केन्द्र और राज्यों के बीच की हिस्सेदारी की है, तीसरी आवंटित राशि को खर्च करने की है, चौथी स्कूलों में इंनस्ट्रकचर के अभाव की है, पाँचवी अध्यापकों की भारी कमी की और छठी शिक्षा की गुणवत्ता की है।.....शिक्षा के अधिकार कानून के कई मसले अभी सुलझे नहीं हैं। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कानून से आगे बढ़कर बड़ी प्रतिबद्धता की जरूरत होगी।"

मुख्य शब्द– बालक, स्थानान्तरण, उत्तरदायित्व, विद्यालय प्रबन्ध समिति, गैर शैक्षनिक कार्य, कैपिटेशन फीस

शिक्षा का अधिकार

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया था, उसके सदस्य वे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष जेलों की कोठरियों में बिताए थे, जिन्होंने आजादी प्राप्त करने के लिए अनेकानेक त्याग और बलिदान किए थे और वे चाहते थे कि सहस्रों वर्षों की दासता में रहने वाले देशवासियों को बड़ी कठिनाईयों से जो स्वतंत्रता मिली है, वह कायम रहे, सुरक्षित रहे। वे दिल से चाहते थे कि संविधान के द्वारा भारतवासियों को वे सब अधिकार, सुविधाएँ और अवसर प्राप्त हो जायें जो उनकी उन्नति और विकास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उस समय स्वतंत्र भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी और यह सम्भव नहीं था कि देश के बच्चों, स्त्रियों, पिछड़े वर्गों, दलितों, जनजातियों आदि को वे सब सुविधाएँ संवैधानिक अधिकारों के रूप में मिल जायें, जिनके लिए अपार धनराशि की आवश्यकता थी। अतएव संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि के विकास और जीवन की सुरक्षा के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया, जिनको राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर रखा गया और यह प्रावधान किया गया कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो व्यक्ति इनकी रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, कुटीर उद्योग, आर्थिक सुरक्षा आदि से सम्बन्धित विषयों के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लेख किया। संविधान के अनुच्छेद 37 में उनके विषय में कहा गया कि इस भाग(4) में दिये गए उपबन्धों को, किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, लेकिन इसमें दिये गए सिद्धान्त देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इन्हीं नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया कि– *"राज्य संविधान के लागू होने से दस वर्ष की कालावधि के अन्दर चौदह वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।"*

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त राज्य के लिए निर्देश हैं, बाध्यता नहीं। इसी बाध्यता के अभाव में सन् 1960 तक पूर्ण किए जाने वाले उपरोक्त प्रावधान को आज तक लागू नहीं किया जा सका है। संविधान के निर्माताओं ने दस वर्ष की कालावधि (सन् 1960 तक)

में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के देश के सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने की आशा, आकांक्षा, अभिलाषा की थी, लेकिन अनेकानेक प्रयास करने के बाद भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। प्रयासों की इसी श्रृंखला में सन् 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद–21(ए) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि–

राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उस प्रकार की रीति से जैसा राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, की व्यवस्था करेगा।"

इस प्रकार शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसी के साथ–साथ इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4(ए) में वर्णित मौलिक कर्तव्यों में एक नया मौलिक कर्तव्य 51(ए.जे. के.) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि–

"माता–पिता या अभिभावक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों अथवा आश्रितों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें।"

इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपरोक्त अनुच्छेद के प्रकाश में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार विधेयकसंसद में प्रस्तुत किया। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसे पारित करने के बाद 26 अगस्त, 2009 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर, इसे कानून बना दिया। इसे **"बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009** (Right of Children to Free and Compulsory Education Act–2009)" के नाम से जाना जाता है। संक्षेप में इसे **"शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009"** कहा जाता है। सरकार ने इस 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009' को 1 अप्रैल, 2010 से सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की विशेषताएँ

(1) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार– 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बालक की यह शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होगी। ऐसी कोई भी फीस या अन्य खर्चे बालक से नहीं लिए जाएंगे, जिनसे उसकी शिक्षा प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो।

(2) प्रवेश प्राप्त न करने वाले या प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण न करने वाले बालकों के लिए विशेष व्यवस्था– यदि कोई बालक 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता, तो वह बाद में भी अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाता है, तो वह उसके बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है।

(3) अन्य विद्यालयों में स्थानान्तरण– यदि किसी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने की व्यवस्था नहीं है, तो बालक को किसी दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण लेने का अधिकार है। किसी अन्य कारण से भी बालक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण ले सकता है। ऐसी स्थिति में विद्यालय प्रमुख को स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र तुरन्त जारी करना होगा।

(4) विद्यालय स्थापना का उत्तरदायित्व– उन स्थानों पर, जहाँ विद्यालय नहीं हैं, अधिनियम लागू होने के तीन वर्षों की कालावधि में विद्यालय स्थापित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार और उसके अधिकारियों का होगा।

(5) वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व– इस अधिनियम की पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें मिलकर आवश्यक फण्ड की व्यवस्था करेंगी। केन्द्रीय सरकार इस पर आने वाले खर्चे का अनुमान तैयार करेगी और राज्य सरकारों को आवश्यक संसाधन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी।

(6) राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व– राज्य सरकारों का यह उत्तरदायित्व होगा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो तथा कमजोर और वंचित वर्गों के बालकों के साथ कोई भेदभाव न हो। राज्य सरकारें विद्यालय भवन, शिक्षक, शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी और बालकों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षकों के लिए प्रभावशाली प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगी।

(7) स्थानीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व– स्थानीय अधिकारी राज्य सरकार के सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करेंगे, उन क्षेत्रों में विद्यालय खोलेंगे, जहाँ विद्यालय नहीं हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों का अभिलेख रखेंगे, विद्यालयों की व्यवस्था की देख–रेख करेंगे और शैक्षणिक कलेण्डर तैयार करेंगे।

(8) माता–पिता और अभिभावकों का उत्तरदायित्व– प्रत्येक माता–पिता और अभिभावक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के अपने बालकों का विद्यालय में नामांकन कराये।

(9) पूर्व स्कूली शिक्षा की व्यवस्था– तीन वर्ष की आयु के ऊपर के बालकों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने और 6 वर्ष तक के बालकों की आरम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल करने के लिए राज्य सरकारें तथा स्थानीय अधिकारी आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

(10) विद्यालयों के उत्तरदायित्व– अध्याय 4 के अनुच्छेद 12(ए) के अनुसार जो बालक विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करेंगा, उसे विद्यालय द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 12(सी) के अनुसार आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बालकों के लिए 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। सभी निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आरक्षण के प्रावधान का पालन करना होगा।

(11) कैपीटेशन फीस या प्रवेश परीक्षण प्रक्रिया का निषेध– कोई भी विद्यालय या व्यक्ति दाखिले के रूप में माता–पिता या अभिभावकों से कोई किसी प्रकार की कैपीटेशन फीस या अन्य कोई धनराशि प्राप्त नहीं करेगा और न ही बालक के चयन के लिए कोई किसी प्रकार की परीक्षण प्रक्रिया को अपनाएगा।

(12) प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण– जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र के अभाव में किसी भी बालक को विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा।

(13) प्रवेश तिथि के बाद भी प्रवेश से इंकार नहीं– प्रवेश तिथि निकल जाने के बाद भी विद्यालय द्वारा किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं किया जाएगा।

(14) रोकने और निष्कासन का निषेध– विद्यालय द्वारा किसी भी बालक को किसी भी कक्षा में न तो रोका जाएगा और न ही उसे विद्यालय से निष्काषित किया जाएगा।

(15) शारीरिक दण्ड और मानसिक प्रताड़ना का निषेध– विद्यालय मं किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जाएगा और न ही उसको मानसिक यातना दी जाएगी।

(16) मान्यता प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता– अधिनियम लागू होने के बाद सक्षम अधिकारी से मान्यता–पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय नहीं चलाया जाएगा, उन्हीं विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाएगी जो निर्धारित मानकों को पूरा करते हों।

(17) विद्यालय के लिए नियम और मानक– जो विद्यालय इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुके हैं और निर्धारित नियमों तथा मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अधिनियम लागू होने के तीन वर्ष के अन्दर सभी नियम और मानक पूरे करने होंगे।

(18) अनुसूची के संशोधन की शक्ति– केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना के द्वारा अनुसूची में किसी भी नियम या मानक को जोड़ने या हटाकर उसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

(19) विद्यालय प्रबन्ध समिति– अनुच्छेद 21(1) के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जन–प्रतनिधि, अभिभावक और शिक्षक सम्मिलित होंगे। यह समिति विद्यालय के काम–काज का निरीक्षण करेगी और विद्यालय विकास की योजनाएँ बनाएगी।

(20) शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ और सेवा शर्ते– शिक्षकों की नियुक्त के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण, वेतन व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(21) शिक्षकों के कर्त्तव्य– अनुच्छेद 24(1) के अनुसार शिक्षकों के जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनके अनुसार शिक्षक विद्यालय में नियमित और समय पर उपस्थित होंगे, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम योग्यता का पता लगाएंगे।

(22) छात्र–शिक्षक अनुपात– इस अधिनियम के लागू होने के छः महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी अनुसूची के अनुसार छात्र–शिक्षक अनुपात निर्धारित करेंगे।

(23) शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना– राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी इस बात को व्यावहारिक बनाएंगे कि उनके अधीन विद्यालयों में रिक्तियों का प्रतिशत कुल स्वीकृत पद संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

(24) गैर शैक्षणिक कार्य– शिक्षकों से जनगणना, प्राकृतिक आपदाओं और जन–प्रतिनिधियों के चुनावों को छोड़कर अन्य कोई गैर–शैक्षणिक कार्य नहीं कराए जाएंगे।

(25) ट्यूशनों और प्राईवेट शिक्षण कार्य का निषेध– कोई भी शिक्षक ट्यूशन या अन्य कोई प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं कर सकेगा।

(26) पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया– अनुच्छेद 29(1) के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया सरकारी अधिसूचना के द्वारा सक्षम अधिकारी या परिषद् द्वारा निर्धारित की जाएगी। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित करते समय बालकों के सर्वांगीण विकास, उनके ज्ञान, सामर्थ्य एवं योग्यता में वृद्धि, संविधान में निहित नैतिक मूल्य, छात्र केन्द्रित उपागम और उनके अभिव्यक्ति कौशल आदि पर ध्यान दिया जाएगा। मूल्यांकन व्यापक और सतत् होगा।

(27) परीक्षा एवं पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र– प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई भी विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षानहीं देगा। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने पर विद्यार्थी को प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।

(28) बाल अधिकारों की सुरक्षा से सम्बन्धित व्यवस्था– बाल संरक्षण आयोग अधिनयम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग इस बात की जाँच करेगा कि अधिनियम के अंतर्गत बालकों के अधिकारों की रक्षा

हो रही है या नहीं और इससे सम्बन्धित अपने सुझाव देगा।

(29) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन– केन्द्रीय सरकार अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसके अधिकतम 15 सदस्य होंगे, जिनको प्राथमिक शिक्षा और बाल विकास के विषय में व्यापक और गहन जानकारी हो। यह परिषद् केन्द्रीय सरकार के अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के विषय में सुझाव देगी।

(30) राज्य सलाहकार परिषद् का गठन– राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की तरह राज्य सरकारें अपने–अपने राज्यों में अधिसूचना के द्वारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेंगी, जिनका कार्य अधिनियम को प्रभावी ढंग–से लागू करने के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा।

(31) निर्देश देने की शक्ति– अधिनियम के अनुच्छेद 35(1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारियों को, अनुच्छेद 35(2) के अनुसार राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों तथा विद्यालय प्रबन्धन को और अनुच्छेद 35(3) के अनुसार स्थानीय अधिकारी विद्यालय प्रबन्धन को अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दे सकते हैं और मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रदान कर सकते हैं।

(32) नेक नीति से की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण– अधिनियम के अनुच्छेद 37 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि इस अधिनियम अथवा इसके बाबत बनाए गए नियमों, मानकों, आदेशों और निर्देशों के पालन में सरकार, स्थानीय अधिकारी, विद्यालय प्रबन्धन और इस अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा नेक नीति से की गई कार्यवाही पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(33) राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति– राज्य सरकारें अधिसूचना के द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए नियम, मानक बना सकेंगी।

शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की कमियाँ एवं आलोचना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की आलोचना में जो बातें कही जा रही हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं–

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से जरूरी है समान शिक्षा। अच्छा होता कि सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बिल लाने पर जोर देने के बजाय कॉमन स्कूल का बिल लाने पर ध्यान केन्द्रित करती। सरकार यह घोषणा क्यों नहीं करती कि देश का हर बच्चा एक ही तरह के स्कूल में जाएगा और पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत सिर्फ 25 फीसदी सीटों पर ही समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों को दाखिला मिलेगा, यानि शिक्षा के जरिये समाज मे गैर–बराबरी पाटने का जो महान् सपना देखा जाता है, वह अब भी पूरा नहीं होगा।
- निःशुल्क शिक्षा की बात महज धोखा है, क्योंकि इसके लिए बजट प्रावधान का जिक्र विधेयक में नहीं है।
- विधेयक में छः साल तक के 17 करोड़ बच्चों की कोई बात नहीं कही गई है। संविधान में छः साल तक के बच्चों को संतुलित आहार, स्वास्थ्य और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है, वह इस विधेयक के जरिये छीन लिया गया है।
- इस कानून का क्रियान्वयन कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं है। निःशुल्क शिक्षा को केवल फीस तक परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसमें शिक्षण सामग्री से लेकर सम्पूर्ण शिक्षा व्यय है या नहीं, यह देखना होगा।
- इस अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक प्रमुख बाधा है।
- निम्न आय समूह वाले माता–पिता परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं। कम उम्र में विवाह होना और जीविका के लिए लोगों का प्रवास करना भी ऐसे मुद्दे हैं, जिनका हल करना इस अधिनियम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है।

उपरोक्त कमियों के बावजूद 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' शिक्षा की कमियों को दूर करने के लिए एक व्यापक और सार्थक कदम है। यह संविधान के प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और यह बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभावयता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत् प्रणाली एवं बालक केन्द्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करता है।

सन्दर्भ सूची–

1. अदावल एवं उनियाल : "भारतीय शिक्षा की समस्याएँ तथा प्रवृत्तियाँ' उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ
2. भारद्वाज, जगवीर सिहं एवं शर्मा अंजुः 'सम सामयिक भारत एवं शिक्षा राखी प्रकाशन प्रा०लि०, आगरा।
3. भटनागर, आर०पी० : 'भारतीय शिक्षा का आधुनिक इतिहास कालेज स्टोर्स, मुरादाबाद

4. बसु०ए०एन० : 'एजूकेशन इन मार्डन इन्डिया' ओरियन्ट बुक कम्पनी, कलकत्ता
5. चतुर्वेदी, सीताराम : 'भारतीय और यूरोपीय शिक्षा का इतिहास' हिन्दी साहित्य कुटीर, वाराणसी
6. चौबे, सरयू प्रसाद : "भारतीय शिक्षा का इतिहासश राम नारायण लाल, इलाहाबाद
7. चौबे, सरयू प्रसाद एवं चौबे, अखिलेश: 'भारत में शिक्षा का विकासश इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ
8. चौधरी एवं उपाध्याय : "भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ' विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
9. दयाल, भगवान : 'दि डेवलपमेन्ट ऑफ मार्डन इन्डियन एजूकेशन' ओरियन्ट लौंगमेन्स, बम्बई
10. गुप्त, बी०आर० : 'भारतीय शिक्षा का इतिहास रस्तौगी एण्ड कम्पनी, मेरठ
11. गुप्ता, एस०पी० एवं गुप्ता, अलका : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
12. हुसैन, जाकिर : 'शिक्षा राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
13. जायसवाल, सीताराम : शिक्षा का सामाजिक आधार प्रकाशन केन्द्र, लखनऊ
14. कुमार, कृष्ण : 'प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति' सरस्वती सदन, दिल्ली
15. लाल, रमन बिहारी एवं कान्त, कृष्ण :'भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ आर०लाल बुक डिपो, मेरठ
16. माथुर, वी०एस० : 'शिक्षा और उसका भविष्य' आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली
17. मलैया, विद्यावती : 'भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ' राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
18. नूरूल्ला, सईद, नायक, जे०पी० : 'ए स्टूडेन्ट हिस्ट्री ऑफ एजूकेशनश मैकमिलन कम्पनी, इन्डिया लि०, बम्बई
19. पचौरी, गिरीश : 'शिक्षा और भारतीय विरासतश इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ
20. प्रसार, भुवनेश्वर : 'भारतीय शिक्षा का इतिहास' अजन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना
21. रस्तोगी, कृष्णगोपाल : 'भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ' रस्तौगी एण्ड कम्पनी, मेरठ
22. शर्मा, आर०ए० : 'तुलनात्मक शिक्षा' आर०लाल बुक डिपो, मेरठ
23. सैयदैन, के०जी० : 'शिक्षा की पुनर्रचना' राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
24. सिंह, वंशीधर एवं शास्त्री, भूदेव : 'स्वतंत्र भारत में शिक्षा की प्रगति' गया प्रसाद एण्ड सन्स, आगरा
25. सफाया, रघुनाथ : 'भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ' धनपतराय एण्ड सन्स, जालन्धर, दिल्ली
26. सेनी, रामगोपाल : 'उदयोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षा के नये आयाम' एच०पी०भार्गव बुक हाउस, आगरा